

कृषि विभाग
हिमाचल प्रदेश
मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना
आवेदन पत्र
(मुफ्त)

केवल कार्यालय प्रयोग के लिए	
आवेदन सं० :-	आवेदन की तिथि :-
	दस्तावेज जांच की तिथि :-
	प्रविष्टि की तिथि :-

सेवा में,

उप कृषि निदेशक/जिला कृषि अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी/विषयवाद विशेषज्ञ _____
जिला _____ हि० प्र०।

विषय :- मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के अन्तर्गत सौर/नियमित इलैक्ट्रिक बाड़ लगाने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन।

महोदय,

1. सामान्य जानकारी : नामार्थि का नाम :-----

पिता का नाम : _____ श्रेणी _____ (एसटी/एससी/ओबीसी/जनरल)

पता : _____

गांव : _____ डाकघर : _____, जिला : _____

पिन कोड : _____, फोन नं० एसटीडी कोड सहित : _____

मोबाइल फोन नं० : _____ आधार कार्ड नं० : _____

पुरुष/महिला _____ शारीरिक विकलांगता (हां/नहीं) _____

2. बैंक खाता विवरण :

2.1 बैंक खाते में किसान का नाम : _____

2.2 खाता संख्या : _____

2.3 बैंक का नाम व बैंक शाखा का पता : _____

2.4 आईएफएससी कोड : _____

3. भूमि विवरण :

3.1 खेत का नाम: _____

3.2 खाता/खतौनी सं० : _____

3.3 खेत का स्थान : अ) गांव : _____ ब) डाकघर : _____ स) जिला : _____

3.4 कुल क्षेत्र (हेक्टेयर) : _____

3.5 बाड़ के लिए प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयर) : _____

3.6 क्या क्षेत्र सिंचित है (हां/नहीं) : _____

3.7 सिंचाई स्रोत : _____

3.8 स्वामित्व की स्थिति: (अप्रासंगिक प्रविष्टि चिह्नित करें) स्वयं मालिक/संयुक्त मालिक/ विरासत (पैत्रिक/अन्य) /अन्य स्वीकृत विरासतनामा ।

4. प्रस्तावित बाड़ :

बाड़ की किस्म	लम्बाई (मीटर)	अनुमानित लागत प्रति मीटर	कुल

5. प्रस्तावित बाड़ क्षेत्र के अन्दर वर्तमान में उगाई गई फसलें व प्रस्तावित फसलें (दोनों बागवानी एवं कृषि) :

क्रम सं०	ऋतु	फसल	क्षेत्र (हेक्टेयर)
अ) बाड़ लगाने से पहले			
ब) बाड़ लगाने के बाद			
		कुल :-	

6. चयनित सेवा प्रदाता :

अनुरोध किया जाता है कि बाड़ के लिए मेरे प्रस्ताव को मंजूरी जल्द प्रदान की जाये।

भवदीय,

हस्ताक्षर _____

किसान का नाम व पूरा पता _____

दिनांक _____

निम्नलिखित दस्तावेजों को आपके कार्यालय में जमा करा दिया जाएगा :

1. ततिमा व जमाबन्दी की प्रति (सम्बन्धित पटवारी द्वारा जारी की गई)।
2. स्थल सर्वेक्षण योजना की प्रति (सूचीबद्ध कम्पनी द्वारा जारी की गई)।
3. बिक्रीनामा/विरासतनामा/सह-मालिक से अनापति प्रमाण पत्र/विभाजननामा/कोई दूसरा (स्पष्ट करें) की अभिप्रमाणित प्रति ।
4. बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति (नाम व पूरा पता)।

15	मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना	राज्य के सभी किसान जो प्रदेश में भू-मालिक हों, इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र है।	इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को सौर ऊर्जा चालित बाड़ लगाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर 80 प्रतिशत व समूह आधारित बाड़ बन्दी के लिए 85 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने कांटेदार तार व चेनलिंग बाड़ लगाने के लिए 50 प्रतिशत और कंपोजिट बाड़ लगाने हेतु 70 प्रतिशत का भी प्रावधान किया है।	आवेदन की कोई फीस नहीं है	आवेदन प्रपत्र सहित राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि, जैसे कि जमाबंदी और ततिमा की प्रति, बैंक खाता की प्रति।	संबन्धित विकास खण्ड के विषयवाद विशेषज्ञ (कृषि) जो कि इस योजना की संचालन एजेंसी है, के माध्यम से संबन्धित जिला के उप कृषि निदेशक का भेजे जा सकते हैं। जन जातीय जिलों से संबन्धित प्रस्ताव जिला कृषि अधिकारी रिकॉगपिओं व केलांग के कार्याय में भेजे जा सकते हैं।	फॉर्म
----	--------------------------------	--	---	--------------------------	--	--	-------